आचार्य पुलक सागर से टोंक जैन समाज ने लिया मंगल आशीर्वाद

टोंक। आचार्य पुलक सागर महाराज के भीलवाड़ा में चल रहे चातुर्मास के दौरान सकल दिगंबर जैन समाज टोंक के प्रतिनिधि मंडल ने भीलवाड़ा पहुंचकर आचार्य के दर्शन कर श्रीफल भेंट किया तथा शीतकालीन प्रवास हेतु मंगल निवेदन किया। इस अवसर पर आचार्य ने समाजजनों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए शीतकालीन प्रवास के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर श्री दिगंबर जैन नसिया अमीरगंज टोंक के अध्यक्ष भागचंद फूलेता, धर्मचंद दाखिया, टोनी आंडरा, अमित छामुनिया, आदिश गंगवाल सहित समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसी क्रम में श्री दिगंबर जैन नसिया अमीरगंज में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महापर्व सोमवार 9 नवंबर को श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक जैन समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पावन पर्व है।

टोंक में खाद्य सुरक्षा टीम ने बर्फी, गुलाब जामुन के नमूने लिए



''शुद्ध आहार मिलावट पर वार'' के तहत टोंक जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन निरीक्षण किया।

■ त्योहारी सीजन में चलाये जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

टोंक। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देशन में त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ''शुद्ध आहार मिलावट पर वार'' के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्यवाही की गई। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर द्वारा मालपुरा स्थित सांवरिया मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना लिया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजवीर सिंह चारण द्वारा जनता जोधपुर स्वीट, मालपुरा से गुलाब जामुन का नमूना लिया गया तथा अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आराधना शर्मा द्वारा सामंती ट्रेडिंग कंपनी, मालपुरा से डेयरी मिल्क ब्रांड घी का नमूना लिया गया। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर द्वारा मिथिलेश नमकीन एंड स्वीट से मावा एवं मावा बर्फी के नमूने लिए गए, इसके अलावा अशोक नमकीन स्वीट टोंक से मावा का नमूना लिया। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलेभर में खाद्य प्रतिष्ठानों का लागातार निरीक्षण किया जा रहा है।

चुनाव में ड्यूटी में लापरवाही, 5 कर्मचारी सस्पेंड

किशनगढ़ बास/खैरथल तिजारा जिले में मतदान दलों की रवानगी के दौरान ड्यूटी से नदारद रहने और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रकाश ने बडी कार्रवाई करते हुए पांच कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, वाहनों की व्यवस्था में लापरवाही पर मोटर वाहन निरीक्षक को 17 सीसीए की चार्जशीट थमाई है, जबकि समय पर नहीं पहुंचने वाले 3 जोनल मजिस्ट्रेटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य रामनारायण कुमावत म. नं. 122 ए, रामनगर ए, कालवाड़ रोड, जयपुर ने प्लॉट नं.ई-30, नारायण सिटी, हाथोद / पीथावास ग्राम, कालवाड़ रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 166.66 व.ग. को क्रय करने का इकरारनामा गोविंद पारीक पुत्र हरिकिशन पारीक, 122, आनंद विहार-ए, बेनाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर से किया है। इस क्रय इकरार से किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति या ऐतराज हो तो 7 दिन में मेरे कार्यालय पर प्रेषित करें। अवधी गुजरने के बाद मेरा अभिभाषाय उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करवायेगा। अवधी गुजरने के बाद किसी की भी आपत्तियां मान्य नहीं होगी।
एडवोकेट सुरेश कुमार मिठारवाल, प्लॉट नं. 3, कृष्णा कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर302012, मो. 9414062160, 8003372160

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:- 4486 दिनांक:-27/10/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास संख्या 22-32(MIG-B) का आवंटन श्री फैसल अहमद पुत्र श्री तनवीर अहमद को किया जाकर आवंटन पत्र कमांक 80 दिनांक 18.04.2006 को जारी किया गया था। उक्त आवास का दिनांक 16.03.2007 को श्री फैसल अहमद पुत्र श्री तनवीर अहमद के पक्ष मे पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कर दिया गया। श्री फैसल अहमद के द्वारा उक्त आवास को श्री विजय मोहन सक्सैना पुत्र श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सैना को दिनांक 05.04.2007 को विक्रय कर विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री विजय मोहन सक्सैना की मृत्यु दिनांक 10.12.2007 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती मीरा सक्सैना पत्नी स्व. श्री विजय मोहन सक्सैना द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मण्डल रिकार्ड मे इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 596 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा इनका नाम दर्ज किया गया। श्रीमती मीरा सक्सैना द्वारा श्रीमती अलका सक्सेना पत्नी श्री कुमार सौरभ को दिनांक 18.08.2023 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती अलका सक्सेना द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्री दीपक कुमार मीना पुत्र श्री रामजी लाल मीना को विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2026 को उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर, मे पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री दीपक कुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री दीपक कुमार मीना पुत्र श्री रामजी लाल मीना का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली), उत्तर–पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्याः** मं.रे. प्र.(बि.)–33–26–27; **कार्य का नामः** All Div.: Electrical work due to provision of Air Conditioners in SM Panel room at 74 Stations and Centralized cooling system in Control office, Ajmer. **अनुमानित लागतः** रू. 1,29,55,292; **बयाना राशिः** रू. 2,59,100; **ई निविदायें बन्द होने की तिथिः** 18.11.2026; उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वैबसाइट का पता – **www.ireps.gov.in** 1573-AM/26
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

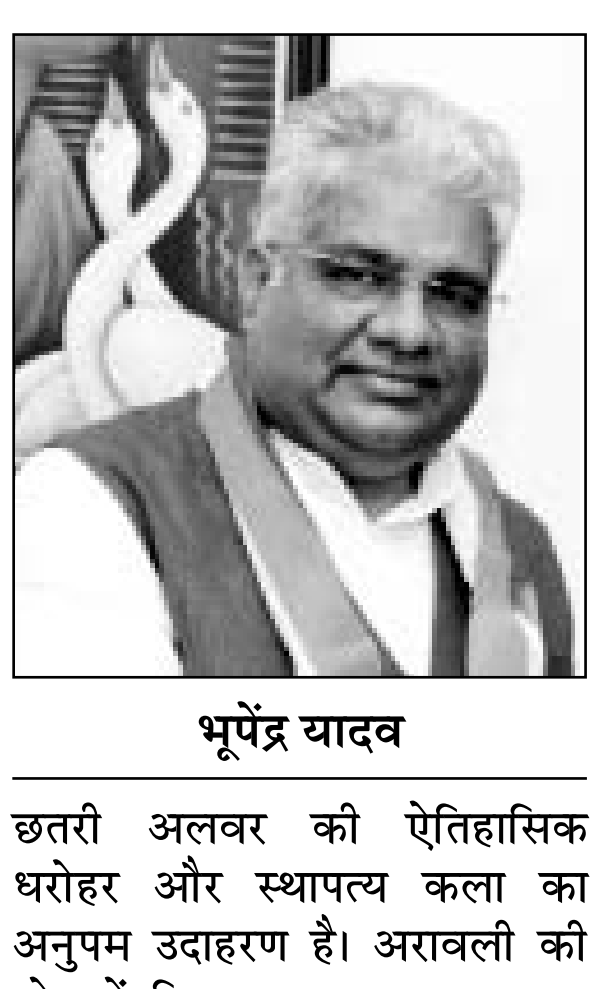
खोया पाया
मेरे फ्लैट नं. 102, अनमोल रेजीडेन्सी, जय अम्बे नगर, गोपालपुरा, जयपुर की मूल रजिस्ट्री दिनांक 15.11.2022 को घाटगेट से सी-स्कीम के बीच में कही गिर गये है। मिलने पर सूचित करेः तसनीम खान 9784652317

आम सूचना
पूर्व में प्रकाशित बेदखली संबंधी आम सूचना के निरस्तीकरण के संबंध में
सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री मोहनलाल जागा, निवासी, हीरावत नगर, मकान नंबर 15, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान द्वारा वर्ष 2008 में अपने पुत्र श्री हीरालाल जागा, निवासी, हीरावत नगर मकान नंबर 15, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, के संबंध में चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल किए जाने के संबंध में एक आम सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।
अब उक्त पूर्व प्रकाशित आम सूचना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में प्रकाशित आम सूचना को निरस्त/वापस लेने की घोषणा की जाती है। अतः वर्ष 2008 में प्रकाशित उक्त आम सूचना को वर्तमान में निरस्तवापस लिया हुआ माना जाए।
यह आम सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करवाई जा रही है, ताकि पूर्व में प्रकाशित आम सूचना के संबंध में किसी प्रकार की गलतफहमी अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
सूचनाकर्ताः
श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री मोहनलाल जागा
निवासीः मकान नंबर 15, हीरावत नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान **हस्ताक्षरः श्रीमती भौरी देवी**
दिनांकः **स्थान- जयपुर, राजस्थान**

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण गोपाल चंद शर्मा पुत्र स्व. श्री रूप चंद एवं उनकी पत्नि श्रीमती चंदा देवी निवासीगण - 191/216, सेक्टर 19, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर के बड़े पुत्र दीपक जांगिड की पत्नी प्रीति जांगिड द्वारा मेरे अभिभाष्यगण के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा किया जाकर उनको हैरान परेशान किया जा रहा है जिसमे मेरे अभिभाष्यगण का बड़ा पुत्र दीपक जांगिड भी उसका ही साथ देता है इससे परेशान होकर मेरे अभिभाष्यगण द्वारा इन लोगो को लगभग एक वर्ष पूर्व ही अपने से अलग कर दिया गया था किन्तु इसके उपरांत भी प्रीति जांगिड द्वारा लगातार मेरे अभिभाष्यगण को अत्यधिक हैरान परेशान किया जा रहा है। इस कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपने बड़े पुत्र दीपक जांगिड, उसकी पत्नी प्रीति जांगिड एवं उनकी दोनो पुत्रियो लैखिका एवं सनवी से समस्त सम्बन्ध तोड़ते हुए इन्हे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति, संस्था, सरकारी व अर्धसरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार किया जाता है तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर 02.11.2026 (अविनाश वशिष्ठ) एडवोकेट मो.-9413488007

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 772/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री निर्मल पंवार, निवासी 135, रामनगर विस्तार वार्ड नम्बर 58, स्वेज फार्म सोडाला, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास महात्मा ज्योतिराव फूले शिक्षण संस्थान, रामनगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 2.11.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 6.01.27
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

अलवर टाइगर मैराथन का तीसरा संस्करण 6 नवंबर को, रणदीप हुड्डा आएंगे



भूपेंद्र यादव

■ मूसी महारानी की छतरी से शुरू होगा आयोजन, अलवर में 4 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भिवाड़ी में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 39.95 लाख स्वीकृत

अलवर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ अलवर के विकास, पर्यटन, खेल सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि धनतेरस, 6 नवंबर को मूसी महारानी की छतरी से अलवर टाइगर मैराथन के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा। इस बार भी हिंदी फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा मैराथन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में उपस्थित रहेंगे। यादव ने पत्र में कहा कि अलवर की ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और वन्यजीवों की समृद्ध विविधता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना उनका उद्देश्य है। मूसी महारानी की छतरी अलवर की ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। अरावली की गोद में स्थित यह स्मारक अलवर की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। टाइगर मैराथन के माध्यम से अलवर को पर्यटन और खेल के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए मूसी महारानी की छतरी को भव्य रूप से सजाया जाएगा।

इसके साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों को भी ऐतिहासिक और पारंपरिक स्वरूप में सजाने की योजना है, ताकि दीपावली के अवसर पर अलवर की खूबसूरती और उत्सवी माहौल पर्यटकों एवं शहरवासियों को आकर्षित कर सके। उन्होंने अलवरवासियों से परिवार सहित बाजारों की सजावट देखने और इस आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की। खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर यादव ने बताया कि अलवर के हसन खां मेवाती नगर में 4 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा।

लगभग 6,233 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में इनडोर बैडमिंटन हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट और पिकलबॉल कोर्ट सहित अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान के लिए दल रवाना

सवाई माधोपुर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तीसरे चरण में जिले की बामनवास, खण्डार, बौंली और मलारना डूंगर पंचायत समिति क्षेत्रों में मंगलवार को पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके लिए जिला मुख्यालय से मतदान दल सोमवार को ईवीएम मशीनों और चुनाव सामठी के साथ रवाना हुए। ये मतदान दल गुरुवार को चारों पंचायत समिति क्षेत्रों की ठााम पंचायतों में पंच-सरपंच पदों के लिए भी चुनाव सम्पन्न करवाएंगे।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुरूप सवाई माधोपुर में मंगलवार को चार पंचायत समिति क्षेत्रों के 16 जिला परिषद सदस्यों और 82 पंचायत समिति वार्डों के लिए ईवीएम मशीनों से मतदान होगा।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः4510 जाहिर आम-सूचना दिनांकः28.10.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 32/139 (LIG) का आवंटन श्री कान्ती प्रसाद जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4201 दिनांक 31.05.1994 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन दिनांक 01.12.1995 को उप पंजीयक सांगानेर में पंजीकृत करवाया गया। श्री कान्ती प्रसाद जैन द्वारा श्री खेमचन्द कृपलानी पुत्र श्री कोरजीमल कृपलानी को दिनांक 21.07.1997 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री खेमचन्द कृपलानी द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्री बाबूलाल जैन पुत्रान् श्री गोपीचन्द जैन को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2005 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री अशोक कुमार जैन द्वारा उक्त आवास के 1/2 हिस्से को श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री गोपीचन्द जैन को दिनांक 24.03.2006 को हक त्याग कर हक त्याग पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री गोपीचन्द जैन द्वारा आवासन मण्डल में उक्त सम्पूर्ण आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त सम्पूर्ण आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री गोपीचन्द जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

सार्वजनिक सूचना
किराएदार प्रताप सोनी, पुत्र बालचंद सोनी, संपत्ति नं 5475, गली 72, रैगरपुरा, करोल बाग, दिल्ली-110005 छोड़कर चले गए हैं। दो माह का किराया व बिजली बिल बकाया है। 7 दिनों में भुगतान करें कब्जा व चाबियां सौंपें अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी।

आम सूचना – सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट "**भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी**" प्लॉट संख्या SI/INST/ 001, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर, राजस्थान। जिसका कुल भूखंड क्षेत्र 1,21,608 वर्ग मीटर और निर्मित क्षेत्र 56,324.59 वर्ग मीटर है, जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र 44,744.36 वर्ग मीटर एवं प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 11,580.23 वर्ग मीटर सम्मिलित है पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या RJ/26/SEAC2(06) INFRA2/EC/1269 दिनांक 23/10/2026 को प्रदान कर दी गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है।
राजेंद्र एंड उर्सुला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
डी.आर.एम./बिजली, उ.प.रे. जोधपुर द्वारा भारत के राट्रपति के वास्ते एवं मंडल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा आंमत्रित करते है। **1.** सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाईट का पता : **http://www.ireps.gov.in** **2.** ई–निविदाएं प्रस्तुत करने की तिथि व समयः 23.11.2026 को 15.00 बजे तक **3.** ई–निविदाएं खोलने की तिथि व समय 23.11.2026 को 15.00 बजे के बाद **निविदा संख्या:18R1/2026-27; कार्य का विवरण:** JU/Gen-(i) Rewiring of staff quarters, service buildings, station buildings and LC gates & other important locations under BGKT power depot of JU Division. (ii) Rewiring of staff quarters, service buildings, station buildings and LC gates & other important locations under SMR & BME power depot of JU Division. **अनुमानित लागत रूपये:** Rs. 56133205.96; **निविदा संख्या:** 31/2026-27; **कार्य का विवरण:** Provision of hiring of AC for Running Rooms of JU division for a period of 05 years. **अनुमानित लागत रूपये:** Rs. 7472457.05; **निविदा संख्या:** 32/2026-27; **कार्य का विवरण:** Provision of hiring of AC for stations and service buildings other than Running rooms of JU division for a period of 05 years. **अनुमानित लागत रूपये:** Rs. 10078879.55; विस्तृत जानकारी हेतु कृपया **http://www.ireps.gov.in** पर विजिट करें। 1577-AM/26
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 773/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. माधुरी सहाय, निवासी एस पी 14-15, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास आई रिसर्च सेन्टर सोसायटी, एस पी 14-15, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 2.11.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 6.01.27
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:- 4295 दिनांक:- 13/10/2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 193/160 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री पौंचम सिंह पंवार पुत्र श्री लाल सिंह पंवार को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 14.08.2003 एवं संशोधित आवंटन पत्र 9205 दिनांक 21.01.2004 को जारी किया गया। श्री पौंचम सिंह पंवार द्वारा श्री राजकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हंसराज शर्मा को दिनांक 12.01.2007 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री राजकुमार शर्मा के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री पौंचम सिंह पंवार के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर, के यहाँ दिनांक 05.03.2007 को पंजीकृत करवाये गये। श्री पौंचम सिंह पंवार द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 12.01.2007 के द्वारा श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री हंसराज शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक- सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री राजकुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 13.03.2007 के द्वारा श्री हनुमान सहाय मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री हनुमान सहाय मीणा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 20.10.2010 के द्वारा श्री रजनीश जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री रजनीश जैन द्वारा श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल शर्मा को दिनांक 03.02.2023 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 02.04.2023 के द्वारा श्री नाथू लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री नाथू लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास मे अपना नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीहै, श्री नाथू लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में छात्राओं ने सीखा आत्मरक्षा का गुर



रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न।

■ 24 दिवसीय शिविर का समारोहपूर्वक समापन, 32 छात्राओं को प्रमाण पत्र मिले

चौमूं / कालाडेरा । सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण केंद्र के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय 24 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मीरा सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा की तकनीकों में दक्षता हासिल करने के साथ-साथ परिस्थितियों को समझने, त्वरित निर्णय लेने और विवेकपूर्ण ढंग से उनका सामना करने की क्षमता विकसित करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्राओं को प्रशिक्षण में अर्जित कौशल का व्यावहारिक जीवन में उपयोग करने तथा आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया।

समारोह का प्रमुख आकर्षण शिविरार्थी छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई आत्मरक्षा तकनीकों का नाट्यय रूपक के माध्यम से जीवंत प्रदर्शन रहा। छात्राओं ने सुनसान स्थानों, यात्रा एवं वाहनों में तथा कार्यस्थल और अध्ययन स्थलों पर उत्पन्न होने वाली संभावित असुरक्षित परिस्थितियों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उनसे बचाव के व्यावहारिक उपायों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस प्रस्तुति ने न केवल आत्मरक्षा के तकनीकी पक्ष को रेखांकित किया, बल्कि सजगता, सतर्कता और समयानुकूल निर्णय क्षमता के महत्व को भी प्रभावी ढंग से उजागर किया। नाट्यय रूपक का निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉ. चित्रा व्यास, डॉ. शिखा पाटनी एवं डॉ. अंजू यादव के मार्गदर्शन में की गई। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मीरा सिंह तथा वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. प्रेणिता गुप्ता एवं प्रो. चिरंजी लाल परिहार ने शिविर के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। प्रो. प्रेणिता गुप्ता एवं प्रो. चिरंजी लाल परिहार ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा जीवन की विषम परिस्थितियों में साहस एवं सूझबूझ से काम लेने का संदेश दिया। शिविर की प्रभारी एवं संयोजक डॉ. दीपा वर्मा ने बताया कि द्वितीय 24 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण शिविर में कुल 32 छात्राओं ने सहभागिता करते हुए प्रशिक्षण पूर्ण किया।

वाहन चालक 'नो पीयूसीसी-नो फ्यूल' की करें पालना सुनिश्चित,

अलवर । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से परिवहन विभाग अलवर द्वारा 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिला परिवहन अधिकारी सविता भारद्वाज ने बताया कि मोटर वाहन निरीक्षक श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा जांच के दौरान वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्रा नहीं पाए जाने पर संबंधित वाहनों के नियमानुसार चालान किए गए तथा उन्हें बिना ईंधन दिए ही वापस लौटाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समझाइश की गई। साथ ही पेट्रोल पंप पर 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' संबंधी बैनर लगाकर आमजन को अभियान के प्रति जागरूक किया गया।परिवहन विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें तथा समय रहते वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी वैधता सुनिश्चित करें, ताकि पेट्रोल पंपों पर ईंधन प्राप्त करने में होने वाली असुविधा एवं नियमानुसार कार्रवाई से बचा जा सके।

पंचायत समिति सदस्य के लिए 8 प्रत्याशियों के आवेदन

निवाई। पंचायतराज चुनाव 2026 को लेकर सोमवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए 7 प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी गंभीर सिंह को नामांकन दाखिल किए है। रिटर्निंग ऑफिसर गंभीर सिंह ने बताया कि पंचायतराज चुनाव को लेकर सोमवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड संख्या 2 से आरएलपी के प्रत्याशी रामकेश मीणा, वार्ड 19 से मिश्रीलाल, वार्ड 26 से सागीर खान व प्रदीप कुमार जाट ने नामांकन दाखिल किए है।

नाम परिवर्तन

I, Ghadage Nivedita Sanket ,wife of No.15198809H Rank LNk (OpR) Name-Ghadage Sanket Deepak Add-VPO-Bharatgaonwadi, Teh-Satara, Dist-Satara, PIN-415519, State-Maharashtra, Have Change my Name is Ghadage Nivedita Sanket to Nivedita Sanket Ghadage Vide Affidavit No- FH0021681020, Dated 02.11.26 Notary Public Jaipur Raj.

I, Ghadage Deepak Subhash ,Father of No.15198809H Rank LNk (OpR) Name-Ghadage Sanket Deepak Add-VPO-Bharatgaonwadi, Teh-Satara, Dist-Satara, PIN-415519, State-Maharashtra, Have Change my Name is Ghadage Deepak Subhash to Deepak Subhash Ghadage Vide Affidavit No-FH0021681019, Dated 02.11.26 Notary Public Jaipur Raj.

I, Ghadage Seema Deepak ,Mother of No.15198809H Rank LNk (OpR) Name-Ghadage Sanket Deepak Add-VPO-Bharatgaonwadi,Teh-Satara, Dist-Satara, PIN-415519, State-Maharashtra, Have Change my Name is Ghadage Seema Deepak to Seema deepak ghadage Vide Affidavit No- FH0021681021, Dated 02.11.26 Notary Public Jaipur Raj.

I,Sunil Baran Mondal, father of No.15226995H Rank Hav (RST) Name- Somnath Mondal of Add-VPO-Nachna, Teh-Khatra, Dist-Bankura PIN-722152 State-West Bengal,, Have Change my Name is Sunil Baran Mondal to Sunil Mandal Vide Affidavit No-FH0021681024, And Dob is 10.10.1961 to 01.01.1962 Vide Affidavit No- FH0021681025 Dated 02.11.26 Notary Public Jaipur Raj.

I have changed my name Kamruddin mansoori to kamruddin mansuri S/O Genda Khan p. n.762 Amagarh shakti colony Delhi by pass road Jaipur (raj.) 302003

I army no JC 196215H Ex NB SUB Mahaveer Singh Chauhan S/o Prabhu Singh R/o 30 A. K. Gopalan Nagar Khatipura Jaipur that I want to change my daughter name from POOJA KUMARI to SWATI CHOUHAN vide affidavit dated 28 oct 26 before sub divisional magistrate jaipur city north

उद्घोषणा (इश्तिहार)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्र.स. 10 संगानेर, जयपुर महानगर-प्रथम
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 17/2025
विषयः उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थीः नाम श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती रश्मि शर्मा, श्रीमती शैला शर्मा तथा श्रीमती शरद शर्मा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण विवाद स्थानः मकान संख्या 9/798, मालवीय नगर, जयपुर
मृतकः स्व. श्रीमती अम्बिका शर्मा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक रू 14.12.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्रीमती अम्बिका शर्मा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 9/798, मालवीय नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 14 माह दिसम्बर सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर क्रम सं.4 जयपुर
परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
परिवाद संख्या 36/2026
घीसालाल कालोया बनाम सेफरोन रियल एस्टेट
की सेफरोन रियल एस्टेट जरिये प्रो.अखिलेश बाकांवत कॉर्पोरेट नं.-86 अजमेरा गार्डन, नियर श्याम नगर पुलिया स्टेशन, किंस रोड, जयपुर (राज.) 302019
आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री घीसालाल कालोया पुत्री/पुत्री श्री प्रेमराज कालोया निवासी प्लाट नं. 251, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर (302019)
.... ने इस जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक परिवार पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों को पेश करें।
आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 8/12/26 को 10 बजे दिन में रखी गयी है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जायेगा।
आज्ञा से-
मोहर अदालत **जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर चतुर्थ जयपुर**

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर–15)
क्रमांक :– जसअ/2026/289 दिनांकः 29.10.2026
ई–निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मु0) 29/2026–27
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मु0) से सम्बन्धित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com, eproc.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal Government of Rajasthan की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in के UBN No:- JMC2627GSOB00747 पर देखी जा सकती है।
अधिशाषी अभियन्ता (मु0) नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/26/12788

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला -अजमेर (राज)
क्रमांक/नपकि/विकास/2026/885 दिनांक – 26.10.2026
निविदा सूचना संख्या – 15/2026–2027
नगर परिषद किशनगढ द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना अनुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदको /ठेकेदारो से मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 03.11.2026 को 12.00 बजे तक निविदा शुल्क मय धरोहर नकद राशि जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 03.11.2026 को मध्यान्ह पश्चात् 02.00 P.M. तक प्राप्त की जाकर उसी दिन उपस्थित संवेदकों के समक्ष 03.00 P.M. पर खोली जावेगी। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार परिषद को होगा। निविदाएं बेचने/प्राप्त करने के दिवस को किसी भी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होने पर कार्यवाही आगामी कार्य दिवस को सम्पादित की जावेगी। निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
यूबीएन नं.–DLB2627A9182
राज.संवाद/सी/26/12763 **आयुक्त नगरपरिषद, किशनगढ़**

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
आम सूचना क्रमांक-F-JDA/Zone 22/2026/D-491
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 334116 दिनांक 09/10/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sumitra Devi S/o W/O, Prahlad Mal	राहुल विजयवर्गीय पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार विजयवर्गीय	C453	222.22 SQ. YARD	Cooperative	4 C MACHEDA	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका ने लीज डीड रजि. विक्रय पत्र वादविवाद शपथ पत्र इत्यादि अपलोड किये है

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त, जोन-22, जविप्रा, जयपुर

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

निवाई। खेतों में से बिना सूचना के निकाली गई 33 केवी लाइन के विरोध में विद्युत विभाग के कार्यालय में अधिशासी अभियंता के साथ किसान महापंचायत की वार्ता हुई।

जिसमें सहमति नहीं होने से असंतुष्ट किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह पलेई ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर किसानों ने अधिशासी अभियंता के साथ करीब 1 घंटे तक वार्ता करने के बाद भी सहमति नहीं बनी।

नम्बर मिलाइए
8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'विभिन्न दस्तावेजों में अंकित रिकॉर्ड का मिलान करें'



सांभरझील में राजस्थान पेंशनर समाज की मासिक बैठक अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश दायमा की अध्यक्षता में हुई।

■ फैमिली पेंशनर्स के प्रकरणों में आने वाली समस्याओं से सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि सभी पेंशनर्स अपने पीपीओ में दर्ज फैमिली पेंशनर के नाम पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज विवरण से मिलान कर लें

सांभरझील। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा सांभरलेक की मासिक बैठक का आयोजन अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश दायमा की अध्यक्षता में किया गया। पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

अध्यक्ष डॉ. दायमा ने फैमिली पेंशनर्स के प्रकरणों में आने वाली समस्याओं से सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि सभी पेंशनर्स अपने पीपीओ में दर्ज फैमिली पेंशनर के नाम एवं जन्मतिथि का आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज विवरण से मिलान कर लें। सभी दस्तावेजों में नाम एवं जन्मतिथि बिल्कुल समान होनी चाहिए। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की असमानता होने पर फैमिली पेंशन स्वीकृत होने अथवा भुगतान में समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने सभी पेंशनर्स को समय रहते अपने जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवाने की भी सलाह दी, ताकि पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बैठक में आगामी 27 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाले राजस्थान पेंशनर समाज जिला जयपुर ग्रामीण के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई तथा आयोजन की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।